Spinning Mills in Punjab

1919. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of spinning mills set up in the country particularly in the State of Punjab during the period 1995-96 and 1996-97;

(b) the production capacity of these mills in the State; and

(c) the expenditure incurred on the setting up of these mills in the State?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) The number of spinning mills set up in Punjab and on all India basis during the year 1995-96 and 1996-97 is given below:

Year	No. of Spinning Mills	
	Punjab	All India
1995-96	2	85
1996-97 upto 31-12-1996	3	17

(b) The installed capacity of 5 spinning mills set up in Punjab during the years 1995-96 and 1996-97 is 43240 spindles and 960 rotors.

(c) The data is not maintained centrally.

देश में बंद पड़ी कपड़ा मिलें

1920. **श्री रामजीलाल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में बंद पड़ी कपड़ा मिलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बंद पड़ी मिलों के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) विगत दो वर्षों (अर्थात् जनवरी, 95 तथा दिसंबर, 96 तक की अवधि के लिए) के दौरान बंद 133 सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें थीं। विभिन्न राज्यों में बंद मिलों की संख्या निम्नानुसार है:—

	राज्य	बंद मिलों की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	10
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	48
5.	हरियाणा	2
6.	कर्नाटक	8
7.	केरल	1
8.	मध्यप्रदेश	8
9.	महाराष्ट्र	15
10.	राजस्थान	4
11.	तमिलनाडु	16
12.	उत्तर प्रदेश	13
13.	पं० बंगाल	5
14.	उड़ीसा	1
	कुल	133

(ख) वस्त्र मिलों की रुग्णता बंद होने के मुख्य कारण ढांचागत रूपांतरण अत्यधिक क्षमता, श्रमिक तथा मशीनों की निम्न उत्पादकता, पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी, आधुनिकीकरण का अभाव तथा अन्य वित्तीय समस्याएं हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने विगत में देश में बंद रुग्ण वस्त्र मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं। ये निम्नानुसार हैं:

(i) जून, 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में कमजोर लेकिन अर्थक्षम मिलों के लिए पुनर्वासन पैकेजों को तैयार करने के लिए एक नोडिए अभिकरण गठित किया गया था।

(ii) जून, 1985 की वस्त्र नीति के अनुसार, वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 750/-करोड़ रु० के संग्रह राशि से एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना(टी एम एफ एस) का सृजन किया गया ताकि इसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

(iii) भारत सरकार ने रुग्ण तथा संभवतः रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने की व्यवस्था करने तथा विशेषज्ञों (बी आई एफ आर) के बोर्ड द्वारा, निरोधक, सुधारक, प्रतिकारी तथा अन्य उपायों जिन्हें ऐसी

कंपनियों के संबंध में लिये जाने की आवश्यकता है, के शीघ्र निर्धारण के उद्देश्य से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एस आई सी ए) 1985 बनाया तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी आई एफ आर) स्थापित किया था। 133 सूती/मानव-निर्मितवस्त्रमिलों, जो विगत दो वर्षों के दौरान बंद थीं, में से 54 मिलों के मामले 31.197 की स्थिति अनुसार बी आई एफ आर के पास पंजीकृत हैं। इन मामलों की जांच बी आई एफ आर द्वारा विभिन्नस्तरों पर की जा रही है तथा बी आई एफ आर के निष्कर्षों को ध्यान में रख कर कार्रवाई की जाएगी।

Cotton purchase from mandies

1921. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the prrocedure being followed for the purchase of cotton from the mandies; and

(b) whether the procurement prices is fixed, based on the quality of cotton; and if so, the manner in which the quality thereafter varified?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) Cotton is marketed in India mostly in the form of kapas (seed cotton). Kapas is brought to the yards of Agricultural Produce Market Commitees (APMC) by the growers for sale. In the APMC market, the auction of kapas is arranged by APMC, and different buyers participate in the auction.

(b) Yes, Sir. The purchase prices of cotton are arrived at by bidding basically on the basis of quality of cotton which arrives in the market yards. Quality disputes, if any, are resolved through the market committees.

गुजरात में नये कपास खरीद केन्द्र

1922. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में भारतीय कपास निगम के नये कपास खरीद केन्द्र खोलने का कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य द्वारा निर्यात की गई कपास की कुल मात्रा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों को कब तक खोलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) से (ग) और (ङ) भारत सरकार को गुजरात में भारतीय कपास निगम (सी०सी०आई०) के नए कपास अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सी०सी०आई० को लिम्बडी, चुडा, सुरेन्द्रनगर, घनगधा, परदी, लातर, पुली, दसद, धन्दुका तथा माडप केन्द्रों में खरीद करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। माडप, पुली तथा दसद को छोड़कर, सी०सी०आई० अन्य केन्द्रों में पहले ही कार्य कर रहा है। सी०सी०आई० गुजरात मे अहमदाबाद तथा राजकोट में अपने दो शाखा कार्यालयों के माध्यम से कार्य कर रहा है तथा इसके राज्य में कुल 28 खरीद केन्द्र हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सहकारी कपास परिसंघ लि० द्वारा निर्यात की गई कपास की कुल मात्रा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	निर्यात लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा०
1993-94	—
1994-95	0.003
1995-96	0.51785
(20-2-97 की स्थिति अनुसार	